E-1626184

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 04-08-2023*

विषय- जिला कारागार, कानपुर नगर के सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू पुत्र श्री श्याम नरायन शुक्ला, निवासी जनपद-कानपुर नगर को माता के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1375/जि0मजि0/जि0प्रो0का0/बंदी पैरोल/2023-24, दिनांक 31-07-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, कानपुर नगर के सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू पुत्र श्री श्याम नरायन शुक्ला, निवासी 127/108, यू0 ब्लॉक, निराला नगर, जनपद-कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-।/326394/2023, फाईल नं0-22-3016(099)/89/2022, दिनांक 02-06-2023 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, राज्यमंत्री (स्व0प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।